FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मारवेरी

राजेन्द्र बनाम राधेश्याम

किस्म मुकदमा धारा 111 128 LRA नं. 6/प्रा०पत्र/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही.मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-1-22	सारिस्ते की रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को नोटिस तलबकर पत्रावली दिनांक 10-3-22 को पेश हो।	
10-3-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अन्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली सादिक कार्यवाही हेतु दिनांक 26-4-22 को पेश हों।	
26-4-22	पत्रावली पेश हुई तमील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी सं.1 की ओर से श्री कमलपारेता एडवोकेट ने वकालतनामा के साथ जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया नकल दिलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली का निस्तारण किया जा रहा है। संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं० 683/4 रकबा 1.00 हैक्टर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित है प्रतिवादी सं.1 आये दिन प्रार्थी के खेत की सीमा को अपनी बताकर विवाद उत्पन्न	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करता रहता है तथा प्रार्थी की सीमा को मिला अपने खेत की सीमा में मिलाना चाहता है और निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं 683/4 रकबा 1.00 हैक्टर का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश करवाया जावे।
	अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया अप्रार्थी द्वारा सीमा बाबत कोई विवाद नहीं किया प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी करायी जाती है तो अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है.
	हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे यह प्रतीत होता कि सीमा पर विवाद है, और न ही इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया गया है. अतः प्रार्थी को सीमांकन का अनुतोष न्यायहित में दिया जाना उचित समझते है
	अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 683/4 रकबा 1.00 हैक्टर वाके ग्राम मोहनपुरा तहसील इन्द्रगढ में स्थित कृषि भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाओं का निर्धारण करते हुए प्रार्थीगण की भूमि पर पत्थरगढी करवाई जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-4-22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

Scanned with CamScanner